



HAMIRPUR POLICE



थाना जलालपुर

दिनांक-27.07.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी:-

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 21/02/2018 को थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 16/2018 धारा-363,366 भा0द0सं0 व 8 पाक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त रामबाबू उर्फ छोटू पुत्र संतराम नि0 ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।